UPBN240008402013

Warrant case/100537/2013(Delivered on 06-07-2026)

Presented on : 28-05-2002
Registered on : 28-05-2002
Decided on : 06-07-2026
Duration : 24 years, 1 months, 9 days

न्यायालयः:न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान,जनपद-बदायूँ।

पीठासीन अधिकारीः:हरेन्द्र सिंह,(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा),(J.O.Code.3676)
आपराधिक परिवाद संख्याः:537/2013

उत्तर प्रदेश सरकार

.....वादी

1- हरी सिंह पुत्र सेवाराम,
2- सेवाराम पुत्र झाऊलाल,(मृतक)
3- रेवाराम पुत्र चेतराम,
निवासीगण- ग्राम रेलई माधोपुर,थाना-सहसवान,जिला-बदायूँ।

.....अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या-93/2002
अंतर्गत धारा-323/34,325/34,504 भारतीय दण्ड संहिता।
अंतर्गत क्षेत्र थाना-मुजरिया, जनपद-बदायूँ।

अभियोजन पक्ष (विद्वान अभियोजन अधिकारी)-श्री प्रदीप कुमार सिंघल।
अभियुक्ता विद्वान अधिवक्ताः श्री अतर सिंह।

निर्णय

1- पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **हरी सिंह पुत्र सेवाराम, रेवाराम पुत्र चेतराम** द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म संस्वीकृति प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर बल दिया व जुर्म संस्वीकृति की इच्छा व्यक्त की गयी। उसके जुर्म संस्वीकृति बयान अंकित किये गये। उसने जुर्म संस्वीकृति का अभिकथन किया।

2- मामले उपरोक्त में उपरोक्त आरोप पत्र अभियुक्तगण **हरी सिंह, सेवाराम व रेवाराम** न्यायालय में दाखिल किया गया था। जिसमें अभियुक्त **सेवाराम** उपरोक्त की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमति की जा चुकी है।

3- अभियोजन को सुना।

4- अतः अभियुक्तगण को **अंतर्गत धारा-323/34,325/34,504 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में दोषसिद्ध पाया जाता है। दोषसिद्ध अभिरक्षा में हैं। दोषिसद्धों को सजा के प्रश्न पर लंच उपरान्त सुना जायेगा। **पत्रावली लंच उपरान्त पेश हो।**

दिनांक:06-07-2026

(हरेन्द्र सिंह),
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।

लंच बाद

5- पत्रावली पुनः लंच उपरान्त पेश हुई। दोषसिद्धों को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उनका कहना है कि वह अत्यंत गरीब हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हैं। याचना की गयी है कि कम से कम सजा के दण्ड से दण्डित किया जावे।

6- मैंने दोषसिद्धों को दण्ड के प्रश्न पर सुन लिया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में दोषसिद्धों के विरूद्ध निम्नवत दण्डादेश पारित किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

आदेश

दोषसिद्ध **हरी सिंह पुत्र सेवाराम, रेवाराम पुत्र चेतराम** को **अंतर्गत धारा-323/34,325/34,504 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप का दोषसिद्ध पाते हुए **उन्हें धारा-323/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अंकन 300/-रूपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दो दिवस का साधारण कारावास, धारा-504 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अंकन 200/-रूपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दो दिवस का साधाराण कारावास एवं धारा-325/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अंकन 500/-रूपये अर्थदण्ड से एवं न्यायालय उठने तक की सजा से, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में चार दिवस का साधारण कारावास के दण्ड से (कुल अंकन 2000/-रूपये)** दण्डित किया जाता है।

दिनांक:06-07-2026

(हरेन्द्र सिंह),
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE.UP3676)

उपर्युक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक:06-07-2026

(हरेन्द्र सिंह),
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE.UP3676)

Transcribed on :Arshad Ali.